न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2018/00230 (119/2018)

महेन्द्र कुमार पुत्र श्री निराणाराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसल टिब्बी जिला हनुमानगढ। .– अपीलान्ट

बनाम

1. सुनीता पत्नी श्री सरजीत जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पवन कुमार पुत्र श्री सरजीत नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी श्री सरजीत जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण

3. जगदीश पुत्र श्री निराणाराम जाति जाट निवासी बेहरवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। —— तरतीबी रेस्पोडैन्ट/अप्रार्थी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर, टिब्बी दिनांक 23.03.2018 प्रकरण संख्या 27/2017 बअनवानी सुनीता आदि बनाम महेन्द्र आदि

श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री राजेन्द्र कुमार बेनीवाला रेस्पो0 सं0 3 की ओर से

निर्णय दिनांक – 22.02.2021

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में [illegible] प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष मूल वा[illegible] अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत [illegible] किया [illegible] 654 आर.डी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थीया घरू [illegible]रा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तहत प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि का खाता अलग कायम कवाने व रकमराज अलग कायम करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि में दखलंदाजी करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध खाता विभाजन करवाये बिना प्रार्थीया के कब्जा काश्त व स्वामित्व की कृषि भूमि के विशिष्ट किलों पर अपना कब्जा नहीं करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया के पति सरजीत से उनकी खरीद की हुई भूमि है, जिसपर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वह स्थगन प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। चक 654 आरडी खाता संख्या 56/159 के 219/315 (57) किला नं. 16, 17, 18 कुल 0.759 है0 भूमि के संबंध मे एक वाद माननीय जिला एवं सैशन न्यायालय हनुमानगढ में विचाराधीन है जिसें दोनों पक्षों की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश गलत, अपूर्ण, विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। चक 654 आरडी के खाता संख्या 159/64 व वर्तमान खाता संख्या 56/159 की 0.759 है0 भूमि का विक्रय अनुबंध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पति/पिता सरजीत ने अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 21.10.2010 को निष्पादित किया था और उक्त विक्रय अनुबंध की अनुपालना में मौके पर कब्जा संभला दिया था तभी से भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराने के उपरान्त भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इस पर कोई गौर नहीं किया है। वादाधीन कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं विक्रय अनुबंध एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या –2 अनुमानगढ द्वारा जारी स्थगन आदेश एवं विचाराधीन सिविल वाद व प्रार्थना–पत्र की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तु कर दी थी जिनका पर कोई गौर नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट को विक्रय अनुबंध का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अनुबंध की पालना बाबत अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 11.05.2017 को रेस्पो0 सं0 1 व 2 को नोटिस भेजे थे जो दिनांक 13.05.2017 को प्राप्त हुआ । इस नोटिस प्राप्त होने के बाद रेस्पाडेण्ट ने अनुंबंध की पालना से बचने के लिए असद्भावनापूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए नोटिस प्राप्ति के तीन दिन बाद दिनांक 16.05.2017 को धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है मातहत अदालत से तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थना–पत्र में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दूओं पर कोई विश्लेषण नहीं किया है। आदेश में कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है। फर्द अहकाम विरोधाभाषी है। प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनेां के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 745, आरआरडी 2002 पेज 383, आबीजे 1999 पेज 344 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 654 आर.डी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थीया घरू बंटवारा अनुसार प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता अलग काय[illegible]ग कायम करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। अ[illegible] में दखलंदाजी करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीया [illegible] ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध खाता विभाजन करवाये बिना प्रार्थीया के कब्जा काश्त व स्वामित्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की कृषि भूमि के विशिष्ट किलों पर अपना कब्जा नहीं करने के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था जो स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त है। प्रश्नगत इकरारनामा में किला नंबर का खुलासा नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सुनीता द्वारा धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के हक हिस्से की 1/3 हिस्सा आराजी के कब्जा कास्त में दखलअंदाजी न करने के आदेश दिये थे। तत्पश्चात् दिनांक 23.03.2018 को आदेशिका में यह अंकित किया है कि उभयपक्ष द्वारा बहस समायत की जा चुकी है एवं विचारण न्यायायल ने दिनांक 16.05.2017 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया है। इस न्यायालय के मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विचाराधीन है। उभयपक्ष के हक हिस्सों का निर्धारण वाद में तय होना है, इस बीच यदि वादग्रस्त आराजी की मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उभयपक्ष के मध्य वाद बहुतलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश को कन्फर्म किया है उसमें किसी प्रकार की विधि त्रूटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 22.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

22/2/21

(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:01:20 IST
Reason: SelfAttested